FAQ

वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास

जीएसटी से संबंधी बारबार पूछे गए प्रश्न

दिनांक : 18.08.2017

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	किसी विशिष्ट विवरणाी को ना भरने से क्या क्या परिणाम होंगे ?	अगर पंजीकृत करदाय व्यक्ति, प्रपत्र जीएसटीआर–3 या जीएसटीआर –4 या जीएसटीआर–5 या जीएसटीआर–6 या जीएसटीआर–7 या जीएसटीआर–10 के प्रपत्र में अंतिम विवरणी को प्रस्तुत करने में चूक जाता है तो, विभाग उसे जीएसटीआर–3ए के प्रपत्र में सूचना जारी करते हुए पंजीकृत करदाय व्यक्ति से विशिष्ट विवरणी को 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने को कहेगी।
2	एनइएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से कर के निक्षेप के लिए अनुसरण किए जाने की विशेष पद्धतियाँ क्या हैं ?	एनइएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से कर निक्षेप करने हेतु, करदाय व्यक्ति को चलान के साथ जीएसटी से जुडे संगठन प्रोफाइल के विवरण और एक प्रसंस्करण के लिए बैंक को जमा करने के लिए एक जनादेश फॉर्म बनाने की आवश्यकता है।

दिनांक : 11.08.2017

क्र0सं0	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	जुलाई के महीने में जीएसटीआर 3बी को जमा करने की अंतिम तारीख क्या है ?	जुलाई के महीने के लिए जीएसटीआर 3बी को जमा करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है।
2	मैं जीएसटी को कैसे अदा कर सकता हूँ ?	जीएसटी को जीएसटी नेटवर्क , जीएसटीएन – http://gstn.org/ के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। सभी करों का ऑन–लाइन के जरिए अदा किया जाएगा और किसी भी प्रकार की मैनुअल फाइलिंग नहीं होगी।
3	इ – चलान क्या है ?	इ–चलान को जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से सृजन किया जाता है। डीलर को अपने चलान के विवरणों को पोर्टल में भरना होगा और जीएसटी के भुगतान के लिए चलान की प्रति निकालनी होगी।
4	दाण्डिकों एवं वसूलियों के लिए जीएसटी दर क्या है ?	GST @ 18 % लागू होगा।
5	क्या हम भुगतान करने के दो वर्ष के बाद जीएसटी ब्याज की प्रतिदाय करने का दावा कर सकते हैं ?	नहीं । जीएसटी ब्याज को उसके भुगतान किए जाने की तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रतिदाय के लिए दावा करना होगा।

दिनांक : 07.08.2017

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	जब अस्पताल वस्तुओं, बेट्टरीस, अग्नि शमकों को इ–ऑक्शन के माध्यम से निपटान किया जाता है तो उस पर जीएसटी का दर क्या होगा ?	GST @ 18 % लागू होगा।
2	जीएसटी के तहत निर्यात को कैसे देखा जाएगा ?	निर्यातों को ज़ीरो रेटेड पूर्तियों के रूप में समझा जाएगा। मालों या सर्विसों के निर्यातों पर कोई कर देय नहीं होगा, फिरभी इन्पुट टेक्स क्रेडिट का क्रेडिट उपलब्ध होगा और वही निर्यातकारों के लिए प्रतिदाय हेतु उपलब्ध होंगे।
3	क्या सिर्फ सर्विसों के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र लागू होता है ?	नहीं। दोनो मालों एवं सर्विसों की पूर्तियों के लिए ही रिवर्स चार्ज लागू होंगे।
4	क्या वर्कस कॉन्ट्राक्टस एवं केट्टरिंग सर्विसों को ही मालों की पूर्ति या सर्विसों की पूर्ति के रूप में देखा जाएगा ? क्यों ?	वर्कस कॉन्ट्राक्टस एवं केट्टरिंग सर्विसों को सर्विसों की पूर्ति के रूप में देखा जाएगा ।
5	क्या चलान में कोई मान्यता अवधि है ?	हाँ । चलान के सृजन करने की तारीख से 15 दिनों तक वह मान्य होगा।
6	सीपींआइएन क्या है ?	सीपीआइएन का मतलब है चलान सृजन करते स7मय दिया गया कॉमन पोर्टल आइडेन्टिफिकेशन नंबर (CPIN) । यह चलान को पहचानने का 14 डिजिट यूनीक नंबर है। उपरोक्तानुसार CPIN 15 दिन तक मान्य होगा।

दिनांक : 29.07.2017

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	जीएसटी के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर कैसा प्रभाव पडता है ?	जीएसटी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2	भारत में एक मुख्यालय वाले भिन्न भिन्न राज्यों के सभी शाखाओं से जीएसटीआइएन नं0 प्राप्त करना जरूरी है ?	हाँ, जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया जाना और अन्य शाखाओं से जीएसटीआइएन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है।
3	इन्टर–स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान पूर्ति के रूप में, कब सर्विसों की पूर्ति को माना जाता है ?	सर्विसों की पूर्ति को इन्टर–स्टेट पूर्ति के रूप में समझा जाएगा, अगर पूर्तिकार एवं पूर्ति किए जाने का स्थान विभिन्न राज्यों में है।
4	स्रोत पर कर की कटौती का दर क्या है ?	करदेय मालों एवं/या सर्विसों पर पूर्तिकार को 1% का भुगतान या श्रेय आकलित होगा।
5	देय जीआइएसटी के मुकाबले सीजीएसटी के क्रेडिट का प्रयोजन करने के मामले में क्या वसूल किया गया सीजीएसटी , सीजीएसटी खाते से कम होगा या बढेगा और आइजीएसटी को अंतरण होगा ?	देय आइजीएसटी के मुकाबले श्रेय सीजीएसटी के प्रयोजन के मामले में, वसूल की गई सीजीएसटी को सीजीएसटी खाते से कटौती की जाएगी और आइजीएसटी खाते को अंतरित किया जाएगा।
6	क्या प्रतिदाय मांग के साथ किसी प्रकार के दस्तावेज़ को संलग्नित किया जाना है ? अगर हाँ, क्या इन दस्तावेज़ों को जमा किया जाना है ?	हाँ, प्रतिदाय आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्नित किया जाना है: आवेदक को प्रतिदाय किए जाने के सत्यापन के तौर पर निर्धारित दस्तावेज़ी प्रमाणों को रखा जाना है।
7	सर्विसों के लिए इन्वॉइस बनाने के लिए समय सीमा क्या है ?	सर्विस की पूर्ति करने के उपरान्त 30 दिनों के अंदर इन्वॉइस बनाया जाना है।
8	सर्विस की पूर्ति के लिए इन्वॉइस की कितनी प्रतियों की जरूरत है ?	सर्विस की पूर्ति के लिए, सिर्फ इन्वॉइस की दो प्रतियाँ काफी हैं। मूल प्रति प्रापक के लिए है और दूसरी प्रति पूर्तिकार के लिए है।
9	प्रापक द्वारा , अगर फॉर्म जीएसटीआर – 2ए में गलत विवरणों को दिखाए जाने के संबंध में किस प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया जाना है ?	प्रापक आगामी करावधि के 15 तारीख से पहले या तक फॉर्म जीएसटीआर–2 को जमा करने से पहले उसमें विवरणों को सत्यापन करते हुए, ऐसे विवरणों को मान्य/संशोधन/मिटा सकता है या विवरणों को जोड भी सकता है।

दिनांक : 21.07.2017

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या निविदा दास्तावेज़ के लिए टिन नंबर अनिवार्य है ?	नहीं, जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, निविदा दस्तावेज़ में टिन नं0 की जरूरत नहीं है।
2	क्या उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली करके, पत्तन द्वारा अदा किया जाता है, क्या जीएसटी लागू होता है या नहीं ?	विद्युत संचरण या वितरण उपयोगिता द्वारा बिजली के संचरण या वितरण को जीएसटी शासन के तहत छूट दी जाती है।
3	कार्य ठेके के लिए जीएसटी की क्या प्रतिशतता अदा किया जाना होता है और क्या कार्य ठेकों के लिए श्रेय इन्पुट लागू है ?	काम अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति के लिए, 18 % के दर पर जीएसटी, पूर्ण इन्पुट कर क्रेडिट के साथ लागू है।
4	उपभोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए दिनांक 25.5.2017 को फर्म ने पूर्ति आदेश जारी किया और वीओसीपीटी ने 1.7.2017 को उसे प्राप्त किया। अब फर्म ने 24.6.2017 की तारीख का इन्वॉइस प्रस्तुत किया है, क्या इस पर जीएसटी लागू होगा ?	इस मामले में, 30.6.2017 के बाद सर्विस पूरा किया गया है और भुगतान भी 30.6.2017 के बाद किया गया ,इसलिए जीएसटी लागू होता है।
5	क्या पंजीकृत डीलरों द्वारा, अपंजीकृत डीलरों को माल बेचते समय उनके आधार/पीएएन को रिकार्ड किया जाना है ?	जीएसटी अधिनियम के अधीन ग्राहक के आधार / पीएएन विवरणों को रिकार्ड करने की जरूरत नहीं है।
6	क्या एक व्यक्ति, जिसके पास जीएसटी पंजीकरण नहीं है, आइटीसी का दावा एवं कर वसूल कर सकता हैद ?	नहीं, एक व्यक्ति जिसके पास जीएसटी पंजीकरण नहीं है, वो अपने ग्राहकों से ना ही जीएसटी वसूल कर सकता है और ना ही उसके द्वारा अदा किए गए जीएसटी के किसी इन्पुट कर क्रेडिट का दावा कर सकता है।
7	सौदा मूल्य क्या है ?	सौदा मूल्य, पूर्तिकार एवं प्राप्तकर्ता जहाँ एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन मालों एवं सर्विस की पूर्ति के लिए वास्तविक दाम अदा किया गया है या अदा किया जाना है , को संदर्भित करता है और पूर्ति के लिए एक मात्र विचार कीमत ही है। इसमें कोई भी रकम शामिल है, जिसे पूर्तिकार द्वारा अदा किया जाना

		है लेकिन पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा इसे उपगत किया गया है।
8	क्या इन्पुट कर में, इन्पुट मालों, इन्पुट सेवाओं एवं पूंजी मालों पर अदा (सीजीएसटी/आईजीएसटी/एसजीएसटी) कर शामिल हैं ?	हाँ, इसमें इन्पुट माल, इन्पुट सर्विस एवं पूंजी मालों पर अदा करें शामिल हैं। पूंजी मालों पर, कर का क्रेडिट, एक किश्त में उपलब्ध किए जाने की अनुमति है।
9	प्रतिदाय लेने के लिए समय सीमा क्या है ?	प्रतिदाय के लिए दावा करने वाले व्यक्ति को, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ''संबंधित तारीख'' से दो वर्ष पूरा होने से पहले आवेदन करना होगा।
10	क्या वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयोजित आइटीसी का प्रतिदाय किया जाएगा ?	जीएसटी विधि में वित्तीय वर्ष के अंत में, ऐसे अप्रयोजित आइटीसी का प्रतिदाय की अनुमति दने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे अगले वित्तीय वर्ष को आग्रेनीत किया जाएगा।
11	अद्यतन विधि के कारण उठने वाले प्रतिदायों को कैसे अदा किया जाएगा ?	अद्यतन विधि के कारण उठने वाले प्रतिदायों को, अद्यतन विधि के प्रावधानों के अनुसार अदा किया जाएगा और आइटीसी के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

दिनांक : 17.07.2017

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	गाडियों को भाडे पर लेने के लिए 30.6.2017 से पहले 5.6 % सेवा कर लागू था। 1. 7.2017 के बाद, पार्टी ने 5 % जीएसटी सहित बिल तैयार किया। कृपया गाडी बिलों के लिए जीएसटी की प्रतिशतता की पुष्टि करें ।	आइटीसी (इन्पुट टेक्स क्रेडिट) के बगैर 5 % का जीएसटी लागू है।
2	मोटर गाडी को किराए पर देने के लिए जीएसटी दर क्या है, अगर इंधन प्रभारों को सर्विस प्राप्तकर्ता द्वारा उपगत किया जाता है।	संपूर्ण इन्पुट टेक्स क्रेडिट के साथ 18 % का जीएसटी लागू है।
3	आयरन सामग्रियों, बेट्टरीस, अग्निशामक, पानी की लॉरी, लेलेन्ड लॉरी के लिए जीएसटी दर क्या है, अगर इन सभी सामग्रियों को इ–ऑक्शन द्वारा निपटाया जाता है ?	अगर उर्पयुक्त सभी सामग्रियों को ई–ऑक्शन के जरिए निपटाया जाता है तो 18 जीएसटी (सीजीएसटी – 9 % एवं एसजीएसटी – 9 %) लागू होगा।
4	क्या प्रतिदाय की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा है ?	हाँ, सभी पहलुओं में पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 60 दिनों के अंदर प्रतिदाय मंजूर की जानी चाहिए। अगर उक्त 60 दिनों की अवधि के अंदर, प्रतिदाय मंजूर नहीं की जाती है तो सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 56 के अनुसरण में अधिसूचित दर पर ब्याज अदा किया जाना चाहिए।
5	क्या प्रतिदाय के लिए कोई न्यूनतम थ्रेसहोल्ड है ?	नहीं। प्रतिदाय तभी दिया जाएगा, जब अगर रकम रु 1000 / – से कम है।
6	क्या उत्क्रम प्रभार के आधार पर, अदा किए गए जीएसटी को , इन्पुट कर के रूप में माना जा सकता है।	हाँ। इन्पुट कर की परिभाषा में रिवर्स चार्ज मेकानिसम (आर सी एम) के अधीन भुगतान किया गया कर शामिल है।

दिनांक : 10.07.2017

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	पार्टी जिसे 30.6.2017 से पहले सर्विस पूरा होने के उपरान्त, पत्तन संबंधी प्रभारों को अदा करना है तथा जिसमें अग्रिम भी अदा किया हुआ है और 1.7.2017 को इन्वॉइस बनाया है, तो क्या सर्विस कर या जीएसटी लागू होगा ?	सर्विस कर लागू है।
2	30.6.2017 से पहले मूल्यांकन किया गया है और 1.7.2017 को सर्विस प्राप्त किया गया, तो क्या सर्विस कर या जीएसटी लागू होगा ?	जीएसटी लागू है।
3	अगर सर्विसें 30 जून 2017 से पहले प्रबंध की गई हैं लेकिन बनाया गया इन्वॉइस और भुगतान जून, 2017 के बाद प्राप्त होता है जो कौन सा दर लागू होगा ?	जीएसटी लागू है।
4	क्या इन्पुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर (आइएसडी) को अपनी विवरणी के साथ बाहरी एवं आंतरिक पूर्तियों के लिए अलग से विवरण को प्रस्तुत करने की जरूरत है ?	नहीं।
5	ऐसे कितने प्रकार की पूर्तियाँ हैं, जिसे रिवर्स चार्ज मेकानिसम के अधीन कर के लिए दायी हैं ?	दो प्रकार की पूर्तियाँ है, जो कि रिवर्स चार्ज मेकानिसम के अधीन कर के लिए दायी हैं – 1 परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार मालों या सर्विसें या दोनों की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट वर्गें। 2 पंजीकृत व्यक्ति को अपंजीकृत पूर्तिकार द्वारा करदाय मालों या सर्विसों या दोनों की पूर्ति होना ।
6	सामान्यतः मालों की पूर्ति करने का समय क्या होगा ?	ए) इन्वॉइस जारी करने की तारीख ; या बी) इन्वॉइस जारी करने की देय तारीख ; या सी) तारीख जिस दिन पूर्तिकार भुगतान प्राप्त करता है ; या डी) तारीख जिस दिन पूर्तिकार की खाता–बही में भुगतान की प्रविष्टि करने की तारीख इ) तारीख जिस दिन बैंक खाते को भुगतान

		नामे किया गया (जो भी पहले हो)
7	कर के दर में बदलाव आने से पहले प्राप्त अग्रिमों पर प्रभारित किए जाने वाले जीएसटी का दर क्या होगा, अगर कर के दर में बदलाव आने से पूर्व पूर्ति परा किया जाता है ?	जीएसटी लागू है।
8	अनिवार्यता, के अनुसार अगर सांख्यिकी प्रस्तुत करने या विवरणी सूचना को नॉन फाइलिंग करने से क्या दाण्डिक आकर्षित करेगा और दाण्डिक की मात्रा की क्या होगी ?	हाँ, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने में चूके जाने की अवधि के दौरान हरेक दिन के लिए रु 100 का दाण्डिक होना चाले रहेगा। फिरभी, इस धारा के अधीन अधिरोपित दाण्डिक रु 5000/– से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
9	कर के दर में बदलाव होने से पहले अगर 95 % काम पूरा हो जाता है, लेकिन पूर्ति पूरा होने के बाद ही इन्वॉइस बनाया जा	यह मानते हुए कि कर के दर में बदलाव होने के बाद पूर्ति पूरा होता है, तो नया कर (जीएसटी) लागू होगा।
	सकता है तो लागू किए जाने वाले कर का दर क्या होगा ?	
10	पार्टी ने कर के पुराने दर के साथ इन्वॉइस बनाया है लेकिन अब पार्टी ने कर के नए दर के आधार पर करों को छोड देता है। क्या मैं, अपने ग्राहक से देय अतिरिक्त कर को वसूल कर सकता हूँ ?	हाँ। ग्राहक से अतिरिक्त कर की वसूली के लिए अनुपूरक इन्वॉइस/डेबिट नोट बना सकते हैं। सारा सौदा जीएसटी शासन के अधीन अन्तर्गत है।
11	क्या सिविल, यांत्रिक एवं अन्य कार्य ठेकों पर, तमिलनाडु (राज्य) वीएटी, एसीटी के अधीन कटौती किए गए कार्य ठेका कर को, जीएसटी शासन के अधीन कायम रखा जाना है ? अगर ऐसा है तो, दर क्या होगा ?	जीएसटी शासन के अधीन, ठेकों पर भुगतान कार्यों से, किसी प्रकार के कार्य ठेके कर की कटौती करने की जरूरत नहीं है और इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।
12	निविदा दस्तावेज़ की लागत, जिसपर 5 % वीएटी वसूल किया जाना है , तो जीएसटी शासन के अधीन क्या पद्धति होगी ?	जीएसटी 18 % पर लागू है। जीएसटी इन्वॉइस आवश्यकता के अनुरूप निविदा दस्तावेज़ के खरीददार को इन्वॉइस दिया जाना है।

दिनांक : 29.07.2017

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	जीएसटी के अधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रभाव क्या होता है ?	जीएसटी का प्रभाव चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर नहीं पडेगा।
2	क्या यह जरूररी है कि भारत में एक मुख्यालय होने पर भी विभिन्न राज्यों के सभी शाखाओं के जीएसटीआइएन नंबर प्राप्त करनी है ?	हाँ, जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया जाना और अन्य शाखाओं से जीएसटीआइएन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है।
3	अंतर्राराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान पूर्ति के रूप में सर्विस की पूर्ति को कब माना जाता है ?	सर्विसों की पूर्ति को अंतर्राज्य पूर्ति के रूप में माना जाएगा, अगर पूर्तिकार एवं पूर्ति किए जाना वाला स्थान, भिन्न राज्यों में हैं।
4	स्रोत पर कर कटौती का दर क्या है ?	करदाय मालो एवं/या सर्विसों के पूर्तिकार को भुगतान किया गया या नामे किया गया का 1%
5	देय आइजीएसटी के मुकाबले सीजीएसटी नामे का प्रयोजन करने के मामले में, क्या वसूल किया गया सीजीएसटी, सीजीएसटी खाते का कम या बढायेगा और आइजीएसटी खाते को अंतरित होगा ?	देय आइजीएसटी के मुकाबले सीजीएसटी नामे का प्रयोजन किये जाने के मामले में, वसूल किए गए सीजीएसटी को सीजीएसटी खाते से कटौती किया जाएगा और आइजीएसटी खाते को अंतरित किया जाएगा।
6	क्या प्रतिदाय दावा के साथ किसी प्रकार के दस्तावेज़ो को संलग्नित किया जाना है ? अगर हाँ, तो किस प्रकार के प्रलेखों को प्रस्तुत किया जाना है ?	हाँ, प्रतिदाय आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्नित किया जाना है : आवेदक को देय के प्रतिदाय को स्थापित करने के लिए, निर्धारितानुसार किए गए अनसार प्रलेखीय सत्यापन।
7	सर्विसों के लिए इन्वॉइस बनाने की समय–सीमा क्या है ?	सेवा की पूर्ति होने के 30 दिनों के अंदर इन्वॉइस बनाया जाना है।
8	सर्विसों की पूर्ति केलिए इन्वॉइस की कितनी प्रतियों की आवश्यकता है ?	सर्विसों की पूर्ति के लिए, सिर्फ इन्वॉइस की दो प्रतियाँ पर्याप्त हैं। मूल प्राप्तकर्ता के लिए है और प्रतिलिपि पूर्तिकार के लिए है।
9	अगर प्राप्तकर्ता को पता चलता है कि फॉर्म जीएसटीआर –2ए में बताए गए विवरण गलत	प्रापक आगामी करावधि के 15 तारीख से पहले या तक फॉर्म जीएसटीआर–2 को जमा करने से पहले उसमें विवरणों को सत्यापन करते हुए, ऐसे विवरणों

	हैं तो किस प्रकार की पद्धति को अपनाई जानी चाहिए ?	को मान्य/संशोधन/मिटा सकता है या विवरणों को जोड भी सकता है।